

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज उमवान सरकार बनाम 125LR A व 88, 188 RTA	नंबर व अहकाम हुकम की में जारी
------------	---	--

मुकदमा नं० 120/2017 निर्णय दि०... 15-11-21
 16-7-21 पत्रावली पेश। वकील वादी उफो साइमनवाडी
 हेतु दि० 31-8-21 को पेश हो।

24-9-21 पत्रावली पेश। वकील वादी उफो/साइमनवाडी
 हेतु दि० 25-10-21 को पेश हो।
 पत्रावली पेश इड. वकील द्वारा कार्य
 स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में राख,
 वीरे पर होने से जनरल तारीख पेशी
 लागू की गई। पत्रावली दिनांक 24-9-21
 को पेश हो।

25-10-21 पत्रावली पेश। वकील वादी उफो/साइमनवाडी
 पेश। वकल सेवा हेतु दि० 1-11-21 को पेश हो।

1-11-21 पत्रावली पेश। उभयपक्ष उपस्थित। कलस दावा
 सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि० 15-11-21
 को पेश हो।

15-11-21 पत्रावली निर्णय हेतु पेश। उभय पक्ष की कलस के
 तथ्यों पर गौर किया गया।
 वादी मास हुल्की के खतासे. ~~408~~ 126 के
 ख.नं. 408 (रखवा + 19 हे.) की माफी मंदिर के
 स्थान पर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता
 है।
 वाद अनुसार ख.नं. 408 के एकीकरण पश्चात ख.नं.
 155/2 (15 बीघा) के जो एकीकरण से पूर्व ख.नं.
 818 (5 बीघा) व 818 (10 बीघा) से बने हैं।
 प्रवावस्टेट दि. 11-1-21 के विधु सं. 7 अनुसार ख.नं.
 155/2 (15 बीघा) भूमि वादी द्वारा विद्युता रूपसे
 सं 28-12-2008 को गण्य की है। सन्त 2003 से
 लगातार यह भूमि मंदिर माफी न होकर खातेदारी
 में दर्ज रही है।

15-11-21


फर्द अहकाम

(विभाग 20)

अज अदालत ३५५११३३/ए.सी.सी. सिकराय (१९९१)

कारका पुराण
सरकार बनाम २५५५५५५

किरम मुकदमा 125 LRAet मु० नं० 120 / 2019
88, 188 RTA

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>जवाब स्टेट अनुसार अलग 15 बिल्वा भूमि का मंदिर माफ़ी दर्ज की कार्यवाही तहसीलदार सिकराय के आदेश दि. 6.4.04 के अनुसार में की गयी है।</p> <p>राज्य मामलों का अत 15 बिल्वा का माफ़ी मंदिर के नाम इलाज विमा किसी आचार के किया है।</p> <p>अतः ग्राम दुल्ही के खाता सं. 126 ई.सं. 408 रकबा 0.9 है. का इलाज वादी की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश 34- तहसीलदार सिकराय के दिये जाते हैं।</p> <p>मुताबिक आदेश डिप्टी व तहसीलदारी के पचावली फलन शुमार हो।</p> <p style="text-align: right;">  (राजनीत सिंह) 15.11.21 </p>	